न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 62/2026 बउनवानी रूपली **बनाम** अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर जिला सचिव, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी निवासी पचीपल्या तहसील सवाईमाधोपुर

GCMS No-2026/145

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	[illegible]
20.5.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 20.1.2026 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर **"ग्राम दुब्बी बिदरखा पटवारी हल्का अजनोटी की कृषि भूमि खाता संख्या 18,19,20,21, के संवत् 2048 से 2080 सम्वत् 2073–2082 तक की स्पष्ट नामा. व जमाबन्दी की प्रमाणित सूचना। "** अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकःएफ.13(02)(14)सूकाअ/2026/516 दिनांक 8.5.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 20.1.2026 मे चाही गयी सूचना का संबंध तहसीलदार सवाईमाधोपुर से होने के कारण अपीलान्ट का आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार सवाईमाधोपुर को जरिये पत्रांक 75–77 दिनांक 22.1.2026 से अन्तरित किया जाकर अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि चाही गयी सूचना राजस्व ग्रुप–6 विभाग राज0 सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.5.2023 के तहत राजस्थान भू. राजस्व (भू.अ.) नियम,1957 के नियम 28 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड की नकलो हेतु नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 20.1.2026 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध तहसीलदार सवाईमाधोपुर से होने से लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय से नही दी जा सकती है इसके अतिरिक्त उक्त सूचना हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया District Manual and Revenue Court Manual के तहत नकल का प्रावधान होने के कारण यह सूचना उक्त अधिनियम के तहत देय नही है। अतः अपीलान्ट उक्त सूचना के लिए तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय मे सूचना का पूर्ण विवरण सहित नियमानुसार नकल का आवेदन पत्र पेश कर प्राप्त कर सकता है। तहसीलदार को भी निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड की नकले उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner